संख्या- 21/2020 / 576/38-7-2020-14नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2020**

विषयः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 02/2020/775/29-6-2020-162सा/2001, दिनांक 07-07-2020**(छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उददेश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी उचित दर की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्प्रति प्रदेश में उचित दर की निरस्त 2020 दुकानें उपलब्ध हैं। इस संबंध में सूची संलग्न है।**

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों जो प्रभावी रूप से संचालित हों और उचित दर की दुकान चलाने में सक्षम हों, को उचित दर की दुकानों के आवंटन के संबंध में स्वंय सहायता समूहों की सूची एवं दूरभाष/मोबाइल नं0 उपलब्ध करायें। उपायुक्त(स्वतः रोजगार) विषयगत मामले में अपने जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उचित दर की निरस्त दुकानों को स्वंय सहायता समूहों को आवंटित कराये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 21/2020/ 576 (1)/अड्तीस-7-2020 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त उपायुक्त(स्वतः रोजगार), उत्तर प्रदेश।**
3. **गार्डफाइल।**

आज्ञा से,

राम केशर यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in